संख्या– 46/चौवालिस-1-84-80/78

प्रेषक,

श्री माता प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के अध्यक्ष/
प्रबन्ध निदेशकगण।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 13 जनवरी, 1984

विषयः– राज्य के सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के गैर–सरकारी अध्यक्षों एवं गैर–सरकारी निदेशकों को देय मानदेय, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं एवं उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के विभिन्न सार्वजनिक उद्योगों/निगमों के गैर–सरकारी अध्यक्षों तथा निदेशकों को देय मानदेय, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–3451/44-80/78, दिनांक 10 अक्टूबर, 1979, शासनादेश संख्या–1174/चौवालिस–1/80/80/78, दिनांक 19 मई, 1980 तथा शासनादेश संख्या–1707/चौवालिस–1/80/80/78, दिनांक 16 सितम्बर, 1980 में विभिन्न भत्तों तथा सुविधाओं के सम्बन्ध में शासन की नीति स्पष्ट की गयी थी।

2- इधर ऐसे कुछ मामले प्रकाश में आये हैं कि कतिपय निगमों आदि के गैर–सरकारी अध्यक्ष दिनांक 10 अक्टूबर, 1979 के शासनादेश में उल्लिखित उत्तरदायित्वों की भावना के प्रतिकूल अपना उत्तरदायित्व निश्चित कराने का प्रयास कर रहे हैं।

ऐसे प्रयासों का एक स्वरूप यह हो रहा है कि विभिन्न अधिशासी अधिकारों के निर्वहन के सम्बन्ध में निदेशक मण्डलों की स्वीकृति से या अन्य प्रकार से उप–समितियां गठित की जायें और उनमें गैर–सरकारी अध्यक्ष या गैर–सरकारी उपाध्यक्ष या गैर–सरकारी निदेशक, अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में रहकर अधिशासी शक्तियों का उपयोग करें।

3- वास्तव में दिनांक 10-10-1979 के उक्त शासनादेश के खण्ड–1 के उपखण्ड–2 के उपखण्ड–1-(क) एवं खण्ड–2 के उपखण्ड–1 के (क) का आशय यह नहीं है कि गैर–सरकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष या गैर–सरकारी निदेशक ऐसी उप–समितियों के अध्यक्ष या सदस्य हों जो कि निगमों से सम्बन्धित विभिन्न अधिशासी अधिकारों का उपयोग करें। अतएव एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिशासी अधिकारों के सम्बन्ध में गठित उपसमितियां केवल सरकारी कर्मचारियों की होंगी।

4- उपरोक्त सन्दर्भ में मुझे एतद्द्वारा यह भी स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि गैर–सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं निदेशक केवल उन्हीं उप–समितियों के सदस्य होंगे जो कि निगम में किसी बिन्दु पर नीति निर्धारण के सम्बन्ध में हों या निगम के कार्यकलापों के किसी पहलू की जांच या अध्ययन के सम्बन्धः में हो न कि अधिशासी शक्तियों के उपयोग के सम्बन्ध में।

5- कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाय।

भवदीय,
(माता प्रसाद)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–46 (1)/चौवालिस–1-84-80/78 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) राज्य के उद्यमों/निगमों से सम्बन्धित सचिवालय के समस्त प्रशासकीय अनु० ।

(1) महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
(सुशील कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।